न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2581–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–07–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 117/2010–11/निगरानी

.....

सत्यनारायण पिता रामरतन
निवासी ढोलाना तहसील बदनावर
जिला धार

.....आवेदक

विरूद्ध

1–सागरमल पिता चंपालाल
निवासी ढोलाना तहसील बदनावर जिला धार
2–मगनलाल पिता चंपालाल
निवासी ढोलाना तहसील बदनावर जिला धार

.....अनावेदकगण

– – – – –

श्री पवन कावरा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/10/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार बदनावर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके परिवार की ग्राम ढोलाना तहसील बदनावर स्थित भूमि सर्वे कमांक 224/2,

225, 940/1, 941/3/1 एवं 1005/940 रकवा क्रमशः 1.607, 0.354, 0.454, 1.121 एवं 0.645 है। उक्त भूमि पर कृषि करने हेतु अनावेदक क्रमांक 1 बदनावर से बढनगर पक्की डामर रोड से उत्तर तरफ शासकीय भूमि कांकड़ पर से जाता है । आवेदक द्वारा उक्त शासकीय भूमि कॉकड़ को जोतकर अनावेदक का रास्ता बन्द कर दिया गया है और अनावेदक के पास यही प्रश्नगत रास्ता होकर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अतः रास्ता खुलवाया जाये। आवेदन पत्र के साथ अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–8–2010 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 19–11–2010 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15–7–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की गई एवं निर्देश दिये गये कि सर्वे नम्बर 1005/940 में आने जाने का अंतरिम रास्ता अनावेदक की भूमि सर्वे नम्बर 942 के पास स्थित शासकीय कॉकड़ से खोला जावे एवं संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण मौका निरीक्षण करते हुये 3 माह में किया जाना सुनिश्चित किया जावे । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया गया है और स्थल निरीक्षण में पाया है कि अनावेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 1005/940 बदनावर, बढनगर ग्राम से 300–400 फीट दूर है एवं बदनावर बढनगर के बीच की भूमि मौके पर खाली नहीं है

और रास्ते के कोई निशानात भी मौजूद नहीं अतः तहसीलदार द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई थी, जिसकी पुष्टि अपर कलेक्टर द्वारा की गई है, अतः अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) अनावेदक के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जिसका उपयोग वह बैलगाडी एवं कृषि उपकरण ले जाने में करता है । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन रास्ता शासकीय भूमि कॉकड़ पर से होकर नहीं है और अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र में असत्य अभिवचन किये गये है तथा अनावेदक द्वारा जो रास्ता बताया जा रहा है, वह मुख्य मार्ग से 8 फीट नीचे होकर सड़क से 300–400 फीट दूर है । इस गहराई पर न तो पैदल आना जाना होता है और न ही कृषि उपकरण ले जाये जा सकते हैं । उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । अपर आयुक्त द्वारा नये रास्ते का सृजन किया गया है, जिसका अधिकार उन्हें नहीं है ।

(3) पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कोई अतिक्रमण नहीं निकला है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा यह नहीं मानने में गभीर भूल की है कि अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध अनेक शिकायतें की गई है, और इस आधार पर कई बार सीमांकन हो चुका है तथा सीमांकन पर मौके पर न तो कोई शासकीय भूमि पाई गई है और न ही शासकीय भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण पाया गया है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों में एक भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है कि शासकीय भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक शासकीय कॉकड़ की भूमि पर स्टेट के समय से पटटा होना बताते हैं, परन्तु उनके द्वारा पटटा प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश देकर प्रकरण 3 माह में निराकरण

करने हेतु आदेशित किया गया है । यदि आवेदक इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत नहीं करता तब तहसील न्यायालय से अभी तक प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण हो जाता । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में कार्यवाही लंबित रखने के उद्देश्य से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत रास्ता खुलवाये जाने संबंधी प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने संबंधी आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये और वैकल्पिक रास्ता होने की जॉच किये बगैर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं ठहरायी जा सकती है । अपर कलेक्टर द्वारा भी बिना इस बात का परीक्षण किये कि अनावेदक कमांक 1 के लिये उसके कृषि भूमि पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं, तहसीलदार के अंतरिम आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अपर तहसीलदार व अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर अनावेदक कमांक 1 को अपनी कृषि भूमि पर जाने हेतु अंतरिम रूप से शासकीय कॉकड़ से रास्ता खोले जाने का आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय को तीन माह में प्रकरण का निराकरण किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं । इस संबंध में यहॉ यह विचारणीय प्रश्न है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण नहीं कराया जाकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दी गई है, जबकि आवेदक को चाहिये था कि वह 3 माह के अन्दर प्रकरण का तहसील न्यायालय से निराकरण करा लेते। चूँकि तहसील

न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया गया है और उनके द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है जहॉ आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष–समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और आवेदक साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं हुआ और वैकल्पिक रास्ता होने के तथ्य को प्रमाणित कर सकता है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–07–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर